



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर में वांछित 15,000-15,000/- के दो इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधौली पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 03.09.2020 को मु0अ0सं0 299/20 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधौली, सीतापुर में वांछित 15,000-15000/- रू0 के दो इनामिया अभियुक्त 1. रिजवान पुत्र सलीम निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना कमलापुर, सीतापुर 2. सलमान पुत्र इसरार निवासी ग्राम अकोहरा थाना सिधौली, सीतापुर को ग्राम अकोहरा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्तगण की शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त पर 15,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्तगण शांतिर किस्म के गोकश है। जो लगभग एक माह से वांछित चल रहे थे। अभियुक्तगण की संपत्ति का पता लगाकर अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही इसी प्रकार चलती रहेगी।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. रिजवान पुत्र सलीम निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना कमलापुर, सीतापुर
2. सलमान पुत्र इसरार निवासी ग्राम अकोहरा थाना सिधौली, सीतापुर

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना सिधौली -

1. प्रभारी निरीक्षक श्रीराम प्रकाश
2. उ0नि0 श्री बीरेन्द्र सिंह यादव
3. हे0का0 सुरेश राठोर
4. का0 सतेन्द्र कुमार
5. का0 प्रशान्त सिंह

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिजवान उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 35/18 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम उ0प्र0 व 11 पशुओ के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 थाना सिधौली, सीतापुर
2. मु0अ0सं0 299/20 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधौली, सीतापुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 35/18 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम उ0प्र0 व 11 पशुओ के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 थाना सिधौली, सीतापुर
2. मु0अ0सं0 299/20 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधौली, सीतापुर

